उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
Uttarakhand Open University

विश्वविद्यालय के सामयिक कार्यो के सम्पादन हेतु यात्री टैक्सी वाहन तथा भार वाहन दैनिक आधार पर आपूर्ति हेतु निविदा सूचना

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के सामयिक कार्यो हेतु **यात्री टैक्सी वाहन तथा भार वाहन दैनिक आधार** पर आपूर्ति किये जाने हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती है। विस्तृत जानकारी तथा नियम एंव शर्ते हेतु विश्वविद्यालय की बेवसाईट www.uou.ac.in को देखें।

निविदा प्रपत्र का मूल्य–500.00 रू0 मात्र

धरोहर राशी – 12000.00 रू0मात्र

निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि– दिनांक 27.12.2018, 2 बजे अपरान्ह।

निविदा खुलने की तिथि 27.12.2018, 3 बजे अपरान्ह।

03/12/18
कुलसचिव

विश्वविद्यालय के सामयिक कार्यो के सम्पादन हेतु यात्री टैक्सी वाहन तथा भार वाहन दैनिक आधार पर आपूर्ति हेतु निविदा के नियम एंव शर्ते

01 निविदा 02 बिड सिस्टम के आधार पर प्रेषित करनी होगी। लिफाफा संख्या 01 में तकनीकी बिड तथा लिफाफा संख्या 02 में **वित्तीय** बिड होगी।

02 तकनीकी बिड में सफल होने वाली फर्म की ही **वित्तीय** बिड खोली जायेगी।

03 निविदा वि0वि0 द्वारा गठित समिति द्वारा निविदाकर्ता फर्म के अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।

04 आपूर्तिकर्ता वाहनों का पंजीकरण परिवहन विभाग में व्यवसायिक कार्यो हेतु होना चाहियें। व्यक्तिगत अथवा निजी वाहन स्वीकार नही किये जायेगें।

05 फर्म का जी0एस0टी0 पंजीयन अनिर्वाय है।

06 सशर्त निविदा मान्य नही होगी।

07 फर्म के वाहन चालकों को पर्वतीय स्थानों में वाहन चलाने का अनुभव तथा स्थानों की भौगोलिक जानकारी होनी चाहिये।

08 फर्म के पास स्वंय के स्वामित्व के कम से कम 03 छोटे लोड वाहन जैसे पिकअप तथा 05 टैक्सी वाहन अथवा समकक्ष या वाहन अनुबंधित होना अनिर्वाय है।

09 सफल निविदा दाता को विश्वविद्यालय द्वारा सूचित किये जाने के 10 दिन के भीतर प्रतिभूति राशी जमा करनी होगी।

10 निविदा दाता फर्म किसी सरकारी संस्थान से ब्लैकलिस्टेड नही होनी चाहिये।

11 विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार टैक्सी तथा लोड वाहन की मॉग की जायेगी जिसको आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

12 यदि आपूर्तिकर्ता आवश्कतानुसार वाहनो की आपूर्ति करने में सक्षम नही होगा तो अनुबंध समाप्त किया जा सकता है एंव प्रतिभूति राशी भी जब्त की जा सकती है।

13 आपूर्तिकर्ता वाहनों की भौतिक स्थिति पूर्ण रूपेण परिवहन विभाग के नियमों के अनुरूप होना आवश्यक है। पत्राचार में किसी प्रकार की कमी अथवा विधिक विवाद/चालान आदि होने का उत्तरदायित्व फर्म स्वामी/वाहन स्वामी का होगा।

14 किसी भी प्रकार की दुर्घटना की क्षतिपूर्ति के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नही होगा।

15 चालक द्वारा अमर्यादित आचरण पर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

16 विश्वविद्यालय द्वारा 15 दिवसों की पूर्व सूचना पर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

17 निविदा दाता को तकनीकी बिड के साथ रू0 12000.00 रू0 मात्र की धरोहर राशी तथा 500.00 रू0 मूल्य के निविदा प्रपत्र मूल्य के रूप में 02 अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट/वि0वि0 रसीद संलग्न करने होंगे।

18 निविदा प्रपत्र मूल्य तथा धरोहर राशी के डिमांड ड्राफ्ट उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के नाम देय होगें।

19 अंतिम रूप से सफल निविदाकर्ता फर्म को वाहन आपूर्ति हेतु अनुबंध किये जाने से पूर्व 25000.00 (पच्चीस हजार रू0 मात्र) की जमानत राशी वि0वि0 कोष में जमा करनी होगी जो कि अनुबंध पूर्ण होने पर वापस कर दी जायेगी।